



रेलटेल  
RAILTEL

**RAILTEL CORPORATION OF INDIA LIMITED**

**(A Govt. of India Undertaking)**

., 6th Floor, IIIrd Block, Delhi Technology Park, Shastri Park, Delhi-110053.

**SINGLE TENDER DOCUMENT**

**FOR**

**“Comprehensive AMC of 60KVA UPS at NOC, Thomson Road, New Delhi”**

**No. RailTel/Tender/ST/NR/O&M/2024-25/CAMC UPS 09.07.2024**

**Tender Copy No.** \_\_\_\_\_

**Sold to** \_\_\_\_\_

**No. RailTel/Tender/ST/NR/O&M/2024-25/CAMC UPS**

**TENDER NOTICE**

**M/s NOVATEUR ELECTRICAL & DIGITAL SYSTEMS PVT LIMITED  
70/B-7, Rama Road Industrial Area,  
New Delhi-110015**

**Sub: Comprehensive AMC of 60KVA UPS at NOC, Thomson Road, New Delhi”**

RailTel Corporation of India Ltd invites sealed tender (in single packet) for “Comprehensive AMC of 60KVA UPS at NOC, Thomson Road, New Delhi” as per following details:

a)	<b>Last Date and Time of Submission of offer</b>	<b>Upto 1500 hrs of 12.08.2024</b>
b)	<b>Time and Date for opening of Tender</b>	<b>1530 hrs of 15.08.2024</b>
c)	<b>Validity of offer</b>	<b>30 days</b>
d)	<b>Delivery period</b>	<b>30 days</b>
e)	<b>Earnest Money Deposit (EMD)</b>	<b>Nil</b>
f)	Copy of Tender Document is enclosed herewith & also sent through email. All pages of original tender document duly signed by the tenderer along with the offer is to be submitted to this office at RailTel Corporation of India Ltd., 6th Floor, IIIrd Block, Delhi Technology Park, Shastri Park, Delhi-110053	

**(Bharat Kaushal)  
Sr. Deputy General Manager  
For & on behalf of  
RailTel Corporation of India Ltd.**

**INDEX**

<b>Chapter</b>	<b>Content</b>	<b>Page No.</b>
Chapter 1	Offer Letter	4
Chapter 2	Schedule of Requirement	5
Chapter 3	Commercial Terms and Conditions	6-9
Chapter 4	Proforma for Performance Bank Guarantee (Form No. 1)	10-11
Chapter 5	General Conditions	14-17



**CHAPTER-1**

**OFFER LETTER**

RailTel Corporation of India Ltd.  
6th Floor, IIIrd Block,  
Delhi Technology Park,  
Shastri Park, Delhi-110053

I/We \_\_\_\_\_ have read the various conditions detailed in tender document attached here to and hereby agree to ABIDE BY THE SAID CONDITIONS as noted. I/We also agree to keep this tender open for acceptance for a period of 30 days from the date fixed for opening the same and in default thereof, I/We will be liable for forfeiture of my/our Earnest Money. I/We offer to do the **“Comprehensive AMC of 60KVA UPS at NOC, Thomson Road, New Delhi”** as per Schedule of Requirement for Single Tender No. **RailTel/Tender/ST/NR/O&M/2024-25/CAMC UPS 09.07.2024** for RailTel Corporation of India Limited at the rates quoted in the attached schedules and hereby bind myself/ourselves to start the AMC services from the date of issue of Purchase Order. I/We also hereby agree to abide by the Various Conditions of the agreed Contract and to carry out the supply according to the specifications for materials laid down by the Railtel and as accepted by us.

SIGNATURE OF CONTRACTOR (S)

Date

SIGNATURE OF WITNESS

CONTRACTOR (S) ADDRESS

- 1.
- 2.



**CHAPTER-2**

**SCHEDULE OF REQUIREMENT (SOR):**

SN	Description	Unit	Qty	Unit Rate (in Rs.)	GST %	GST Amount	Unit (Incl taxes)	Rate of	Total Amount (Incl. of GST)
1	Comprehensive AMC of 60KVA UPS at NOC, Thomson Road, New Delhi as per Annexure-I	No.	2						
<b>Total Cost (in INR)</b>									

**Note:**

1.1 Deleted.

1.2 Deleted

1.3 Manual, instruction manual, operating manual etc. wherever required shall be submitted by the bidder.



## CHAPTER-3

### Commercial Terms & Conditions

#### 1. OFFER LETTER AND VALIDITY OF OFFER

1.1 The bidder shall complete the offer letter (Chapter 1) and the price schedule (SOR) furnished in the bid documents, indicating the goods to be supplied, description of the goods, associated technical literature, quantity and prices etc.

1.2 The offer should remain valid for a period of **30** days from the date of opening.

#### 2. WARRANTY: Deleted

#### 3. Terms & Conditions

3.1 The contract shall be initially for a period of one year further extendable on mutual agreement. RailTel can cancel the contract after a giving one month notice if service of the firm is not found to be satisfactory or if requirement is cease to exist.

#### 3.2 Performance Bank Guarantee (PBG):

- a. Firm is directed to furnish the Performance Guarantee Bond in the form of DD/Online transfer amounting 10% of the contract value for successful completion of the work within 15 (Fifteen) days in favour of M/s RailTel Corporation of India Ltd., 6th Floor, IIIrd Block, Delhi Technology Park, Shastri Park, Delhi-110053 within 10 days from the date of issue of this PO. Extension of time for submission of PBG beyond 15 (Fifteen) days and up to 30 days from the date of issue of PO may be given by the authority who is competent to sign the contract agreement. However, a penal interest of 15% per annum shall be charged for the delay beyond 30 (thirty) days, i.e. from 31st day after the date of issue of PO. In case the contractor fails to submit the requisite PBG even after 60 days from the date of issue of PO, the contract shall be terminated.
- b. A separate advice of the BG will invariably be sent by the BG issuing bank to the RailTel's Bank through SFMS and only after this the BG will become acceptable to RailTel. It is therefore in own interest of bidder to obtain RailTel's bank IFSC code, its branch and address and advise these particulars to the BG issuing bank and request them to send advice of BG through SFMS to the RailTel's Bank

**Note: In case value of BG comes to Rs. 5 Lakhs or less, same should be submitted in the form of DD/Banker cheque only.**

3.3 RailTel may encash the BG in case of firm fails to comply as per the terms and conditions of PO.

#### 3.4 PAYMENT:

- 3.4.1 The payment shall be made to the firm quarterly after completion of period.
- 3.4.2 Original Tax Invoice.
- 3.4.3 Copy of BG submitted/Proof of SD submission
- 3.4.4 Service Call Log Sheet on Quarterly Basis and satisfactory service certificate from executive department of RCIL
- 3.4.5 Bill paying & passing authority is JGM/Fin & Sr.DGM/NOC RailTel /Northern Region resp.

- 3.4.6 GST as per Government regulations is to customers account.
- 3.5 Contractor shall provide Four (4) preventive maintenance services in a year during the CAMC period at no additional cost to RailTel.
- 3.6 Unlimited breakdown calls including supply of spares and replacement of spares of the complete system as and when needed have to be provided free of cost to RailTel.
- 3.7 In case less than 4 maintenance visits are carried out, the cost of per visit per UPS will not be paid and additionally 5% penalty of quarterly payment will be imposed.**
- 3.8 The Service Support by the contractor must be available on phone/fax/e-mail 24x7x365 hours for fault reporting and corrective actions. Emergency calls will be attended with utmost priority keeping aside any protocol and obligation.
- 3.9 Contractor shall furnish an escalation matrix to RailTel as soon as the contract is placed on them.
- 3.10 The contractor must ensure the attendance of service engineer within 3 hrs. on call.
- 3.11 If UPS is down beyond prescribed time limit, a penalty 5% of quarterly payment will be charged or recovered from the pending payments.**
- 3.12 Any System failing at subsystem level at least three times in three months, displaying chronic system design or manufacturing defects of quality control problem has to be totally replaced by the vendor at his cost and risk within 30 days.
- 3.13 Contractor shall use their own testing instruments/tools/any other item required for maintenance of equipment. If any testing equipment is required for testing and maintenance, same shall be arranged by contractor free of cost.
- 3.14 Contractor shall nominate qualified Engineer "CAMC Engineer" who shall be solely responsible to coordinate with his counterparts in maintenance team and report the progress and status of various complains to the concerned region of RailTel.
- 3.15 Contractor shall arrange for adequate transportation for their staff and material as per requirement.
- 3.16 Contractor shall allocate sufficient man power for deploying in the event for simultaneous fault.
- 3.17 Contractor shall take all due necessary safety precautions while carrying out the work at site. RailTel shall have no responsibility whatsoever for claims arising for negligence, accident or any other reason for the personnel deployed by you or your sub vendor or sub-contractor.
- 3.18 The tenderer should submit their strategy and plan for providing maintenance support during CAMC Period. The plan should broadly and essentially cover the following: -**
- 3.18.1 Complete visual inspection of the UPS including sub-assemblies, wire harnesses, contacts, cables, major components and air filters.**
- 3.18.2 Checking of inverter and rectifier boards, and all mechanical connections for heat discoloration and tightness.**
- 3.18.3 Replacement of any life limited component that may have failed or shows the signs of failure.**
- 3.18.4 Checking, cleaning of dust, moisture and grime in the UPS enclosure.**
- 3.18.5 Earthing connections of UPS.**
- 3.19 **Exclusions: The following services are not included in this Scheme, but could be done on payment basis:**
- a. **Missing/stolen parts in the UPS and DC / Battery backup source.**
  - b. **Shifting of UPS and accessories.**
  - c. **Extra accessories required for the use of the UPS.**
  - d. **Repairs and replacement to DC / Battery backup.**
  - e. **Electrical Wiring, Accessories & its associated problems**
  - f. **Replacement of Capacitors if the age of the same exceeds more than five years.**
  - g. **Replacement of magnetics, if the age of the transformer exceeds more than seven years.**
  - i. **Switchgears-MCBS, CBs, Contactors**

- 3.20 Force majeure: The scheme does not cover any repair or replacement necessitated by loss or damage due to Flood, Earthquake, Fire, misuse, Input supply Short-circuits, accident natural calamities or any Force Majeure circumstances, etc.
- 3.21 Termination: Either party can terminate this contract by giving a 1 month notice in writing to the other party.

#### **4. SETTLEMENT OF DISPUTES**

In case of any dispute concerning this order both the supplier and RailTel shall try to settle the same amicably through mutual discussion/negotiation. Any unsettled dispute shall be settled in terms of Indian Act of Arbitration and conciliation 1996 or any amendment thereof. Place of arbitration shall be New Delhi. The Arbitral Tribunal shall consist of the sole arbitrator appointed by mutual agreement of the parties. All arbitration proceedings shall be conducted in English.

#### **5. Deleted.**

#### **6. GOVERNING LAWS**

This contract shall be interpreted in accordance with the laws of India. The courts at New Delhi shall have exclusive jurisdiction to entertain and try all matters arising out of this contract.

#### **7. TERMINATION FOR DEFAULT**

- 19.1 The purchaser may, without prejudice to any other remedy for breach of contract, by written notice of default, sent to the Supplier, terminate this contract in whole or in part
- (a) If the supplier fails to deliver any or all of the goods within the time period(s) specified in the contract.
  - (b) If the supplier fails to perform any other obligation(s) under the contract; and
  - (c) If the supplier, in either of the above circumstance(s) does not remedy his failure within a period of 30 days (or such longer period as the Purchaser may authorize in writing) after receipt of the default notice from the Purchaser.

19.2 Deleted.

#### **8. TERMINATION FOR INSOLVENCY**

The purchaser may at any time terminate the contract by giving written notice to the supplier, without compensation to the supplier, if the supplier becomes bankrupt or otherwise insolvent as declared by the competent court provided that such termination will not prejudice or affect nay right of action or remedy which has accrued or will accrue thereafter to the Purchaser.

#### **9. Bid Submission and Opening Date**

- 9.1 Each and every page of bid should be signed by authorized representative of the form. Power of attorney in favour of the signatory duly authorizing the signatory shall be enclosed in the bid.
- 9.2 The bid should be submitted in two copies-one original and one copy. The packet containing the original and copy of the bid duly marked “ORIGINAL & COPY” should be sealed by the personal seal of the bidder.
- 9.3 The envelope shall be addressed to the Purchaser at the following address:

**Rail Tel Corporation of India Ltd.  
Sr. Deputy General Manager/NOC**

6th Floor, IIIrd Block, Delhi Technology Park,  
Shastri Park, Delhi-110053

- 9.4 The envelope shall bear name of work, the tender no, and the words “DO NOT OPEN BEFORE” (due date).
- 9.5 Bid should be delivered to the above address so as to reach up to 15:00 hours of due date. The bids shall be opened at 15:30 Hrs on the same day in the above office in the presence of representative of the bidder. Bid received after due date and time shall be summarily rejected and shall not be opened.

10 **Security Considerations & Security Agreement:** Deleted

11 **Earnest Money Deposit (EMD)/ Bid Security :** Nil

12 **Risk & Cost**

If the contractor fails to honour the contractual commitment within the period fixed for such delivery of services in the contract, the Purchaser may terminate the Purchase order/LOA/ contract in whole or in part, the Purchaser may proceed to purchase, upon such terms and in such manner as it deems appropriate, goods similar to those undelivered at no risk and cost to contractor. However, the security deposit of tenderer shall be forfeited/ Performance Bank Guarantee shall be encashed. The failed tenderer shall not be permitted to take part in the tender for balance work.

\*\*\*\*\*



CHAPTER-4

Form No. 1

PROFORMA FOR PERFORMANCE BANK GURANTEE

(On Stamp Paper of requisite value)

(To be used by approved Scheduled Banks)

1. In consideration of the RailTel Corporation of India Limited, registered office at 6th Floor, IIIrd Block, Delhi Technology Park, Shastri Park, Delhi-110053 and Corporate Office at Plate-A, 6<sup>th</sup> Floor, Office Block-2, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023 (hereinafter called "the RailTel") having agreed to exempt (M/s. Party Name and Address)..... (hereinafter called " the said Contractor(s)") from the demand, under the terms and conditions of an Agreement No. ....(P.O No.) Dated.....made between ..... and..... for ..... (Name of Work) (hereinafter called "the said Agreement") of Security Deposit for the due fulfillment by the said contractor(s) of the terms and conditions contained in the said Agreement, or production of a Bank Guarantee for Rs. .... (Rs. .... Only). We, .....(Bank Name and Address)) hereinafter referred to as " the Bank") at the request of. .... Contractor(s) do hereby undertake to pay the RailTel an amount not exceeding Rs. .... Against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the RailTel by reason of any breach by the said Contractor(s) of any of the terms or conditions contained in the said PO/Agreement.
2. We, ..... Bank (Bank Name and Address) do hereby undertake to pay the amount due and payable under this Guarantee without any demur, merely on demand from the RailTel stating that the amount is claimed is due by way of loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the RailTel by reason of breach by the said Contractor(s) of any of terms or conditions contained in the said Agreement or by reason of the Contractor(s) failure to perform the said PO/Agreement. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. ....
3. We, ..... Bank (Bank Name and Address) undertake to pay to the RailTel any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Contractor(s) / Supplier(s) in any suit or proceedings pending before any court or Tribunal relating thereto our liability under this present being, absolute and unequivocal. The Payment so made by us under this Bond shall be a valid discharge of our liability for payment thereunder and the Contractor(s) / Supplier(s) shall have no claim against us for making such payment.
4. We, ..... Bank (Bank Name and Address) further agree that the Guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said PO/Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the RailTel under or by virtue of

the said Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till RailTel certifies that the terms and conditions of the said Agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor(s) and accordingly discharges this Guarantee. Unless a demand or claim under the Guarantee is made on us in writing on or before the ..... We shall be discharged from all liability under this Guarantee thereafter.

- 5. We, ..... (Bank Name and Address) further agree with the RailTel that the RailTel shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the Agreement or to extend time of to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the RailTel against the said contractor(s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said Agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension to the said Contractor(s) or for any forbearance, act or omission on the part of RailTel or any indulgence by the RailTel to the said Contractor(s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have affect of so relieving us.
- 6. This Guarantee will not be discharged due to the change in the Constitution of the Bank or the Contractor(s)/ Supplier(s).
- 7. We, ..... (Indicate the name of Bank) lastly undertake not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the Rail Tel in writing.
- 8. Notwithstanding anything contained herein, Our liability under the Bank guarantee shall not exceed Rs. .... (In Rupees)

This Bank Guarantee shall be valid upto ..... and we are liable to pay the guaranteed and or any part thereof under this Bank Guarantee only and only if you serve upon is a written claims or demand or before .....(date of expiry of guarantee)

Dated the ..... day of ..... 2017

For .....

(Indicate the name of the Bank)

**Witness**

1. Signature

Name

2. Signature

Name

## General Conditions

### 1.1 Tenderers Address

Tenderer shall state in the tender his postal address fully and clearly. Any communication sent to the Tenderers by post at his said address shall be deemed to have reached the tenderer duly & timely, notwithstanding the fact the communication could not reach the tenderer at all or in time for whatever reason. Important documents shall be sent by Registered post.

### 1.2 Deleted.

### 1.3 Law governing the contract.

The contract shall be governed by the law for the time being in force in the Republic of India. Compliance to regulations and bye-laws-The contractor shall conform to the provision of any statute relating to the works and regulations and bye-laws of any local authority and of any water and lighting companies or undertakings, with whose system the work is proposed to be connected and shall before making any variation from the drawings or the specifications that may be necessitated by so confirming give to the Engineer notice specifying the variation proposed to be made and the reason for making the variation and shall not carry out such variation until he has received instructions from the Engineer in respect thereof. The Contractor shall be bound to give all notices required by statute, regulation or bye-laws as aforesaid and to pay all fees and taxed payable to any authority in respect thereof.

### 1.4 Force Majeure clause:-

If at any time, during the continuance of this contract, the performance, in whole or part, by either party, of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by reason of any war, hostility, act of the public enemy, Civil Commotion, Sabotage, Fires, Floods, Earth quakes, explosions, strikes, epidemics, quarantine restrictions, lockouts, any statute, statutory rules/regulation, order of requisitions issued by any Government Department of Competent Authority or acts of God (here-in-after referred to as event) then provided notice of the happening of any such event is given by either party to the other within twenty one days from the date of occurrence thereof, neither party shall, by reason of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damage against the other in respect of such non-performance or delay in performance, and the obligations under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, Provided further that if the performance in whole or part of any obligation under this contract of prevented or delayed by reason of any such event beyond a period as mutually agreed to by the RailTel and the Contractor after any event or 60 days in the absence of such an agreement whichever is more, either party may at its option to terminate the contract provided also that if the contract is so terminated under this clause the RailTel may at

the time of such termination take over from the Contractor at prices as provided for in the contract, all works executed or works under execution.

### **1.5 Illegal Gratification:-**

Any bribe, commission, gift or advantage given, promised or offered by or on behalf to the contractor or his partner, agent or servant or anyone on his behalf to any officer or employees of the RailTel, or to any person on his behalf in relation to obtaining or the execution of this or any other contract with the RailTel shall, in addition or any criminal liability which he may incur, subject the contractor to the rescission of the contract and all other contracts with the RailTel and to the payment of any loss or damage resulting from such decision and the RailTel shall be entitled to deduct the amounts so payable from any moneys due to the Contractor (s) under this contract or any other contracts with the RailTel.

The contractor shall not lend or borrow from or have or enter into any monetary dealings or transactions either directly or indirectly with any employee of the RailTel and if he shall do so, the RailTel shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the RailTel. Any question or dispute as to the commission or any shall offence or compensation payable to the RailTel under this clause shall be settled by the Regional General Manager of RailTel, in such a manner as shall consider fit and sufficient and his decision shall be final and conclusive. In the event of rescission of the contract under this clause, the contractor will not be paid any compensation whatsoever except payment for the work done up to date of rescission.

### **1.6 LABOUR**

**Wages to Labour-** The contractor shall be responsible to ensure compliance with the provisions of the Minimum Wages Act, 1948 (hereinafter referred to as the “said Act”) and the Rules made there-under in respect of any employees directly or through petty contractors or sub contractors employed by him on road construction or in building operations or in stone breaking or stone crushing for the purpose of carrying out this contract. If in compliance with the terms of the contract, the contractor supplied any labour to be used wholly or partly under the direct orders and control of the RailTel whether in connection with any work being executed by the contractor or otherwise for the purpose of the RailTel such labour shall, for the purpose of the clause, still be deemed to be persons employed by the contractor. If any moneys shall as a result of any claim or application made under the said Act be directed to be paid by the RailTel, such moneys shall be deemed to be moneys payable to the RailTel by the Contractor and on failure by the contractor to repay any moneys paid by it as aforesaid with seven days after the same shall have been demanded, the RailTel shall be entitled to recover the same form any moneys due or accruing to the contractor under this or any other contractor with the RailTel.

#### **7.13.1 Apprentices Act**

The contractor shall be responsible to ensure compliance with the provisions of the Apprentices Act 1961 and the Rules and Orders issued the re-under from

time to time in respect of apprentices directly through petty contractors or sub-contractors employed by him for purpose of carrying out the contract. If the Contractor directly or through petty contractor or sub-contractors fails to do so, his failure will be breach of the contract and the RailTel may, in its discretion, rescind the contract. The Contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation of the provisions of the Act.

#### **7.13.2 Provisions of Payments of Wages Act-**

The Contractor shall comply with the provisions of the payment of Wages Act, 1936 and the rules made there under in respect of all employees directly or through petty contractors or sub-contractors employed by him in the works. If in compliance with the terms of the contract, the contractor directly or through petty contractors or sub-contractors shall supply any labour to be used wholly or partly under the direct orders and control of the Engineer whether in connection with the works to be executed hereunder or otherwise for the purpose of the Engineer such labour shall nevertheless be deemed to comprise persons employed by the contractor, and any moneys which may be ordered to be paid by the Engineers shall be deemed to be moneys payable by the Engineer on moneys due to the contractor in terms of the contract (whether under this contract or any other contract all moneys paid or payable by the RailTel by way of compensation of aforesaid or for costs of expenses in connection with any claim thereto and the decision of the Engineer upon any question arising out of the effect or force of this clause shall be final and binding upon the contractor.

#### **7.13.3 Provision of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970**

1. The contractor shall comply with the provision of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, Central Rules 1971 as modified from time to time, whenever applicable and shall also indemnify the RailTel from and against any claims under the aforesaid Act and the Rules.
2. The contractor shall obtain a valid license under the aforesaid Act as modified from time to time before the commencement of the work and continue to have a valid license until the completion of the work. Any failure to fulfill this requirement shall attract the penal provision of the Contract arising out of the resultant non-execution of the work.
3. The contractor shall pay to the labour employed by him directly or through sub-contractors the wages as per provisions of the aforesaid Act and the Rules wherever applicable. The Contractor shall notwithstanding the provisions of the contract to the contrary, cause to be paid the wages to labour indirectly engaged on the work including any engaged by his sub

contractors in connection with the said work, as if the labour had been immediately employed by him.

4. In respect of all labour directly or indirectly employed in the work for performance of the contractor's part of the contract the contractor shall comply with or cause to be complied with the provisions of the aforesaid Act and the Rules wherever applicable.
5. In every case in which, by virtue of the provisions of the aforesaid Act or the Rules, the RailTel is obliged to pay any amount of wages to a workmen employed by the contractor or his sub-contractor in execution of the work or to incur any expenditure in providing welfare and health amenities required to be provided under the aforesaid Act and the Rules or to incur any expenditure in providing welfare and health amenities required to be provided under the aforesaid Act the Rules or to incur any expenditure on account of the contingent liability of the RailTel due to contractor's failure to fulfill his statutory obligations under the aforesaid Act or the Rules the RailTel will recover from the contractor, the amount of wages so paid or the amount of expenditure so incurred, and without prejudice to the rights of the RailTel under section 20, sub section (2) and section 2 sub-section (4) of the aforesaid Act, the RailTel shall be at liberty to recover such amount or part thereof by deducting it from the security deposit and/or from any sum due by the RailTel to the contractor whether under the contract or otherwise. The RailTel shall not be bound to contest any claim made against it under sub section (1) of section 20 and sub section (4) of section 21 of the aforesaid Act except on the written request of the contractor and upon his giving to the RailTel full security for all costs for which the RailTel might become liable in contesting such claim. The decision of the RailTel regarding the amount actually recoverable from the contractor as stated above shall be final and binding on the contractor.

#### **7.13.4 Reporting of Accidents to Labor**

The contractor shall be responsible for the safety of all employees directly or through petty contractors or sub-contractors employed by him on the works and shall report serious accidents to any of them however and wherever occurring on the works to the Engineer or the Engineer's representative and shall make every arrangement to render all possible assistance.

#### **7.13.5 Provisions of Workmen's Compensation Act-**

In every case, in which by virtue of the provision of section 12 sub section (1) of the Workmen's Compensation Act, 1923, RailTel is obliged to pay compensation to workman directly or through the petty contractor employed by the contractor or sub-contractor, in executing the work, RailTel will recover from the contractor the amount of the compensation so paid, and without prejudice to the right of RailTel under section 12 sub section (2) of the said Act. RailTel shall be at liberty to recover such amount or

any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by RailTel to the Contractor whether under these conditions or otherwise, RailTel shall not be bound to contest any claim made against it under Section 12, Sub Section (1) of the said Act except on the written request of the contractor and upon his giving to RailTel full security for the all costs for which RailTel might become liable in consequence of contesting such claim.

**1.7 Determination of Contract:**

**Right of RailTel to determine the contract:** The RailTel shall be entitled to determine and terminate the contract at any time, should in the RailTel's opinion, the cessation of the work becomes necessary owing to paucity of funds or from any other cause whatever, in which case the value of approved materials at site and of work done to date by the Contractor will be paid for in full at the rate specified in the contract. Notice in writing from the RailTel of such determination and the reasons thereof shall be conclusive evidence thereof.

**Payment on determination of contract:** Should the contract be determined under sub clause (1) of this clause and the Contractor claims payment for expenditure incurred by him in the expectation of completing the whole of the work, the RailTel shall admit and consider such claims as are deemed reasonable and are supported by vouchers to the satisfactions of the Engineer. The RailTel's decision on the necessity and property of such expenditure shall be final and conclusive.

The contractor shall have no claim to any payment of compensation of otherwise, however on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the work in full but which he did not derive in consequence of determination of contract.

**1.8 TERMINATION OF CONTRACT OWING TO DEFAULT OF CONTRACTOR:**

As per clause 7, chapter-4 of tender document.

**1.9 RIGHT OF RAILTEL AFTER TERMINATION OF CONTRACT OWING TO DEFAULT OF CONTRACTOR :**

- a) The contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reason of his having purchased or procured any materials or entered into any commitments or made any advances on account of or with a view to the execution of the works or the performance of the contract and contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any works thereto not actually performed under the contract, unless or until the Engineer shall have certified the performance of such work and the value payable in respect thereof and the Contractor shall only be entitled to be paid the value so certified.

- b) The Engineer or Engineer's Representative shall be entitled to take possession of any materials, tools, implements, machinery or buildings on the works or on the property on which these are being or ought to have been executed, and to retain the employ the same in further execution of the works without the contractor being entitled to any compensation for the use and employment thereof or for wear and tear or destruction thereof.
- c) The Engineer shall, as soon as may be practicable after removal of the contractor fix and determine expert or by or after reference to the parties or after such investigation or enquiries as he may consider fit to make or institute and shall certify what amount (if any) has at the time of termination of the contract been reasonably earned by or would reasonably accrue to the Contractor in respect of the work then actually done by him under the contract what was the value of any unused or partially use materials, any constructional plants and any temporary works upon the site. The legitimate amount due to the contractor after making necessary deductions and certified by the Engineer should be released expeditiously.

**1.10 SETTLEMENT OF DISPUTE AND ARBITRATION:-**

- Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof shall be settled by a sole arbitrator in accordance with provisions contained in Arbitration and Conciliation Act, 1996 as amended and the award made in pursuance thereof shall be binding on the parties. The venue of such arbitration or proceedings thereof shall be New Delhi.
- All arbitration proceedings shall be conducted in English. Resources against any Arbitral award so rendered may be entered into court having jurisdiction or application may be made to such court for the order of enforcement as the case may be.
- The Arbitral Tribunal shall consist of the sole Arbitrator appointed by mutual agreement of the parties. The award by the Arbitral Tribunal shall be final and binding on both the parties i.e. contractor and RailTel Corporation of India Ltd.
- Each of the parties agree that notwithstanding that the matter may be referred to Arbitrator as provided therein, the parties shall nevertheless pending the resolution of the controversy or disagreement continue to fulfill their obligation under this agreement so far as they are reasonably able to do so.



रेलटेल  
RAILTEL

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम)

.,6वीं मंजिल, तृतीय ब्लॉक, दिल्ली टेक्नोलॉजी पार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली-110053.

एकल निविदा दस्तावेज़

के लिए

“एनओसी, थॉमसन रोड, नई दिल्ली में 60 केवीए यूपीएस का व्यापक एएमसी”

सं. रेलटेल/निविदा/एसटी/एनआर/ओ&एम/2024-25/CAMC यूपीएस 09.07.2024

निविदा प्रति संख्या. \_\_\_\_\_

को बेचा \_\_\_\_\_

रेलटेल  
RAILTEL

## सं. रेलटेल/निविदा/एसटी/एनआर/ओ&amp;एम/2024-25/सीएएमसी यूपीएस

निविदा सूचना

एमएसनोवेटेड इलेक्ट्रिकल और डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड  
70/बी-7, रामा रोड औद्योगिक क्षेत्र,  
नई दिल्ली-110015

विषय: एनओसी, थॉमसन रोड, नई दिल्ली में 60 केवीए यूपीएस का व्यापक एएमसी

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित विवरण के अनुसार "एनओसी, थॉमसन रोड, नई दिल्ली में 60 केवीए यूपीएस के व्यापक एएमसी" के लिए सीलबंद निविदा (एकल पैकेट में) आमंत्रित करता है:

g)	प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	1500 बजे तक दिनांक 12.08.2024
h)	निविदा खोलने का समय और तारीख	1530 बजे दिनांक 15.08.2024
i)	ऑफर की वैधता	तीस दिन
j)	वितरण अवधि	तीस दिन
k)	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	शून्य
l)	निविदा दस्तावेज की प्रति संलग्न है तथा इसे ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा रहा है। निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित मूल निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठ प्रस्ताव के साथ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस कार्यालय में जमा किए जाने हैं। 6वीं मंजिल, तृतीय ब्लॉक, दिल्ली टेक्नोलॉजी पार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली-110053	

(भारत कौशल)  
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक  
के लिए एवं की ओर से  
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.

**अनुक्रमणिका**

अध्याय	सामग्री	पृष्ठ सं।
अध्याय 1	प्रस्ताव पत्र	21
अध्याय दो	आवश्यकता की अनुसूची	22
अध्याय 3	वाणिज्यिक नियम और शर्तें	23-27
अध्याय 4	प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा (फॉर्म नं. 1)	28-30
अध्याय 5	सामान्य परिस्थितियां	31-37



## अध्याय 1

### प्रस्ताव पत्र

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.  
6वीं मंजिल, तीसरा ब्लॉक,  
दिल्ली प्रौद्योगिकी पार्क,  
शास्त्री पार्क, दिल्ली-110053

मैं/हम \_\_\_\_\_ ने यहां संलग्न निविदा दस्तावेज में वर्णित विभिन्न शर्तों को पढ़ लिया है और उक्त शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं। जैसा देखा गया # जैसा लिखा गया। मैं/हम इस निविदा को खोलने के लिए निर्धारित तिथि से 30 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए खुला रखने के लिए भी सहमत हूँ/हैं और ऐसा न करने पर, मैं/हम अपनी बयाना राशि जब्त करने के लिए उत्तरदायी हो जाऊँगा/होंगी। मैं/हम एकल निविदा के लिए आवश्यकता की अनुसूची के अनुसार “NOC, थॉमसन रोड, नई दिल्ली में 60KVA UPS का व्यापक AMC” करने की पेशकश करते हैं। **सं. रेलटेल/निविदा/एसटी/एनआर/ओ&एम/2024-25/CAMC यूपीएस 09.07.2024** रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए संलग्न अनुसूचियों में उल्लिखित दरों पर और इसके द्वारा मैं खरीद आदेश जारी होने की तारीख से एएमसी सेवाएं शुरू करने के लिए खुद को बाध्य करता/करती हूँ। मैं/हम इसके द्वारा विभिन्न शर्तों का पालन करने के लिए भी सहमत हूँ/हैं। सहमत अनुबंध और रेलटेल द्वारा निर्धारित सामग्री विनिर्देशों के अनुसार आपूर्ति करना और जैसा कि हमारे द्वारा स्वीकार किया गया है।

ठेकेदार(ओं) के हस्ताक्षर

तारीख

गवाह के हस्ताक्षर

ठेकेदार का पता

- 1.
- 2.

**अध्याय दो****आवश्यकता की अनुसूची (एसओआर):**

एस.एन.	विवरण	इकाई	मात्रा	यूनिट दर (रु. में)	जीएसटी %	जीएसटी राशि	इकाई दर (करों सहित)	कुल राशि (जीएसटी सहित)
1	एनओसी, थॉमसन रोड, नई दिल्ली में 60 केवीए यूपीएस की व्यापक एएमसी अनुलग्नक-1 के अनुसार	नहीं।	2					
	कुल लागत (भारतीय रुपये में)							

**टिप्पणी:**

1.4 हटा दिया गया.

1.5 हटाए गए

1.6 मैनुअल, अनुदेश मैनुअल, संचालन मैनुअल आदि जहां भी आवश्यक हो, बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

रजिस्टर्ड  
RAILTEL

### अध्याय 3

#### वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

#### 10. ऑफर लेटर और ऑफर की वैधता

1.3 बोलीदाता को बोली दस्तावेजों में प्रस्तुत प्रस्ताव पत्र (अध्याय 1) और मूल्य अनुसूची (एसओआर) को पूरा करना होगा, जिसमें आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं, वस्तुओं का विवरण, संबंधित तकनीकी साहित्य, मात्रा और मूल्य आदि का उल्लेख होगा।

1.4 यह प्रस्ताव खुलने की तारीख से 30 दिनों की अवधि तक वैध रहना चाहिए।

11. गारंटी: हटा दिया गया

12. नियम एवं शर्तें

3.22 अनुबंध की अवधि शुरू में एक वर्ष होगी जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। यदि फर्म की सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है या आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो रेलटेल एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध रद्द कर सकता है।

3.23 प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी):

- c. फर्म को डीडी/ऑनलाइन हस्तांतरण राशि के रूप में प्रदर्शन गारंटी बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। 10% कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अनुबंध मूल्य काइस पीओ के जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 6वीं मंजिल, III ब्लॉक, दिल्ली टेक्नोलॉजी पार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली-110053 के पक्ष में 15 (पंद्रह) दिन। पीबीजी जमा करने के लिए समय का विस्तार 15 (पंद्रह) दिनों से परे और पीओ जारी होने की तारीख से 30 दिनों तक उस प्राधिकारी द्वारा दिया जा सकता है जो अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम है। हालांकि, 30 (तीस) दिनों से अधिक की देरी के लिए, यानी पीओ जारी होने की तारीख के 31वें दिन से 15% प्रति वर्ष का दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। यदि ठेकेदार पीओ जारी होने की तारीख से 60 दिनों के बाद भी अपेक्षित पीबीजी जमा करने में विफल रहता है, तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
- d. बीजी जारी करने वाले बैंक द्वारा बीजी की एक अलग सूचना अनिवार्य रूप से एसएफएमएस के माध्यम से रेलटेल के बैंक को भेजी जाएगी और उसके बाद ही बीजी रेलटेल को स्वीकार्य होगी। इसलिए बोलीदाता के हित में यह है कि वह रेलटेल के बैंक आईएफएससी कोड, उसकी शाखा और पता प्राप्त करे और बीजी जारी करने वाले बैंक को ये विवरण बताए तथा उनसे अनुरोध करे कि वे एसएफएमएस के माध्यम से रेलटेल के बैंक को बीजी की सूचना भेजें।

**नोट: यदि बीजी का मूल्य 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए।** केवल डीडी/बैंकर चेक के रूप में।

3.24 यदि फर्म पीओ की शर्तों और नियमों का पालन करने में विफल रहती है तो रेलटेल बैंक गारंटी को भुना सकता है।

3.25 भुगतान:

- 3.25.1 अवधि पूरी होने के बाद फर्म को तिमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा।
- 3.25.2 मूल कर चालान.
- 3.25.3 प्रस्तुत बीजी की प्रति/एसडी प्रस्तुतीकरण का प्रमाण
- 3.25.4 तिमाही आधार पर सेवा कॉल लॉग शीट और आरसीआईएल के कार्यकारी विभाग से संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र
- 3.25.5 बिल भुगतान एवं पास करने का प्राधिकारी क्रमशः जेजीएम/वित्त एवं सीनियर डीजीएम/एनओसी रेलटेल/उत्तरी क्षेत्र हैं।
- 3.25.6 सरकारी नियमों के अनुसार जीएसटी ग्राहकों के खाते में जाता है।
- 3.26 ठेकेदार को सी.ए.एम.सी. अवधि के दौरान एक वर्ष में चार (4) निवारक रखरखाव सेवाएं प्रदान करनी होंगी, जिसके लिए रेलटेल को कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी।
- 3.27 रेलटेल को असीमित ब्रेकडाउन कॉल, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर पुर्जों की आपूर्ति और सम्पूर्ण प्रणाली के पुर्जों के प्रतिस्थापन की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी।
- 3.28 **यदि 4 से कम रखरखाव दौरे किए जाते हैं, तो प्रति यूपीएस दौरे की लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा और इसके अतिरिक्त त्रैमासिक भुगतान का 5% जुर्माना लगाया जाएगा।**
- 3.29 ठेकेदार द्वारा सेवा सहायता फोन/फैक्स/ई-मेल पर 24x7x365 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए ताकि खराबी की सूचना दी जा सके और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। आपातकालीन कॉल को किसी भी प्रोटोकॉल और दायित्व को अलग रखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ देखा जाएगा।
- 3.30 जैसे ही ठेकेदार को अनुबंध दिया जाएगा, उसे रेलटेल को एक वृद्धि मैट्रिक्स प्रस्तुत करना होगा।
- 3.31 ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा इंजीनियर 3 घंटे के भीतर कॉल पर उपस्थित हो।
- 3.32 **यदि यूपीएस निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक बंद रहता है, तो त्रैमासिक भुगतान का 5% जुर्माना लगाया जाएगा या लंबित भुगतानों से वसूला जाएगा.**
- 3.33 यदि कोई सिस्टम उप-प्रणाली स्तर पर तीन महीने में कम से कम तीन बार विफल होता है, तथा उसमें दीर्घकालिक सिस्टम डिजाइन या गुणवत्ता नियंत्रण समस्या के विनिर्माण दोष दिखाई देते हैं, तो उसे विक्रेता को 30 दिनों के भीतर अपनी लागत और जोखिम पर पूरी तरह से बदलना होगा।
- 3.34 ठेकेदार को अपने स्वयं के परीक्षण उपकरण/औजार/उपकरणों के रखरखाव के लिए आवश्यक किसी अन्य वस्तु का उपयोग करना होगा। यदि परीक्षण और रखरखाव के लिए किसी परीक्षण उपकरण की आवश्यकता होती है, तो ठेकेदार द्वारा इसकी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी।
- 3.35 ठेकेदार को योग्य इंजीनियर "सीएएमसी इंजीनियर" को नामित करना होगा, जो रखरखाव टीम में अपने समकक्षों के साथ समन्वय करने और रेलटेल के संबंधित क्षेत्र को विभिन्न शिकायतों की प्रगति और स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा।
- 3.36 ठेकेदार को आवश्यकतानुसार अपने कर्मचारियों और सामग्री के लिए पर्याप्त परिवहन की व्यवस्था करनी होगी।
- 3.37 ठेकेदार को एक साथ खराबी आने की स्थिति में तैनाती के लिए पर्याप्त मानव शक्ति आवंटित करनी होगी।
- 3.38 ठेकेदार को साइट पर काम करते समय सभी आवश्यक सुरक्षा सावधानियाँ बरतनी होंगी। आपके या आपके उप विक्रेता या उप-ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मियों की लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाले दावों के लिए रेलटेल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 3.39 **निविदाकर्ता को CAMC अवधि के दौरान रखरखाव सहायता प्रदान करने के लिए अपनी रणनीति और योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। योजना में मोटे तौर पर और अनिवार्य रूप से निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: -**
  - 3.39.1 उप-संयोजनों, वायर हार्नेस, संपर्क, केबल, प्रमुख घटकों और एयर फिल्टर सहित यूपीएस का पूर्ण दृश्य निरीक्षण।
  - 3.39.2 इन्वर्टर और रेक्टिफायर बोर्ड तथा सभी यांत्रिक कनेक्शनों की गर्मी के कारण होने वाले विकृतीकरण और कसाव की जांच करना।

- 3.39.3 किसी भी सीमित जीवन वाले घटक का प्रतिस्थापन जो विफल हो गया हो या विफलता के लक्षण दिखा रहा हो।
- 3.39.4 यूपीएस आवरण में धूल, नमी और मैल की जांच और सफाई करना।
- 3.39.5 यू.पी.एस. के अर्थिंग कनेक्शन।
- 3.40 अपवर्जन: निम्नलिखित सेवाएं इस योजना में शामिल नहीं हैं, लेकिन भुगतान के आधार पर इन्हें किया जा सकता है:
- एक। यूपीएस और डीसी/बैटरी बैकअप स्रोत में गुम/चोरी हुए भाग।
- बी। यूपीएस और सहायक उपकरणों का स्थानांतरण।
- सी। यूपीएस के उपयोग के लिए अतिरिक्त सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है।
- डी। डीसी / बैटरी बैकअप की मरम्मत और प्रतिस्थापन।
- इ। विद्युत वायरिंग, सहायक उपकरण और इससे संबंधित समस्याएं
- एफ। यदि संधारित्र की आयु पांच वर्ष से अधिक हो गई है तो उसका प्रतिस्थापन किया जाएगा।
- जी। यदि ट्रांसफार्मर की आयु सात वर्ष से अधिक हो गई है, तो चुम्बकीय उपकरणों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- मैं। स्विचगियर्स-एमसीबीएस, सीबी, कॉन्टैक्टर्स
- 3.41 अप्रत्याशित घटना: यह योजना बाढ़, भूकंप, आग, बाढ़, भूस्खलन... दुरुपयोग, इनपुट आपूर्ति शॉर्ट-सर्किट, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या कोई अप्रत्याशित परिस्थिति, आदि।
- 3.42 समाप्ति: कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को एक महीने का लिखित नोटिस देकर इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

### 13. विवादों का निपटारा

इस ऑर्डर से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में आपूर्तिकर्ता और रेलटेल दोनों ही आपसी चर्चा/बातचीत के माध्यम से इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करेंगे। किसी भी अनसुलझे विवाद का निपटारा भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 या उसके किसी संशोधन के अनुसार किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण में पक्षों की आपसी सहमति से नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा। सभी मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी में संचालित की जाएगी।

### 14. हटा दिया गया.

### 15. शासन कानून

इस अनुबंध की व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी। नई दिल्ली को इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न सभी मामलों पर विचार करने और उन पर विचार करने का विशेष अधिकार होगा। इस अनुबंध का.

### 16. चूक के लिए समाप्ति

- 19.1 क्रेता, किसी भी अन्य उल्लंघन के लिए पूर्वाग्रह के बिना, अनुबंध, आपूर्तिकर्ता को डिफॉल्ट की लिखित सूचना भेजकर, इस अनुबंध को समाप्त कर देगा अनुबंध पूर्णतः या आंशिक रूप से भाग
- (ए) यदि आपूर्तिकर्ता समय अवधि के भीतर कोई या सभी सामान वितरित करने में विफल रहता है अनुबंध में निर्दिष्ट।

- (बी) यदि आपूर्तिकर्ता अनुबंध के तहत किसी अन्य दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है; और
- (सी) यदि आपूर्तिकर्ता उपरोक्त किसी भी परिस्थिति में अपनी समस्या का समाधान नहीं करता है, असफलता 30 दिनों की अवधि के भीतर (या क्रेता द्वारा निर्धारित अधिक अवधि के भीतर) अधिकृत करेक्रेता से चूक नोटिस प्राप्त होने के बाद, क्रेता को लिखित रूप में भुगतान करना होगा।

19.2 हटा दिया गया.

## 17. दिवालियापन के कारण समाप्ति

क्रेता किसी भी समय लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। आपूर्तिकर्ता को मुआवजा दिए बिना, यदि आपूर्तिकर्ता दिवालिया हो जाता है या अन्यथा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित दिवालिया बशर्ते कि ऐसी समाप्ति किसी भी कार्रवाई या उपचार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या उसे प्रभावित नहीं करेगा जो अर्जित हुआ है या होगा इसके बाद क्रेता को देय होगा।

## 18. बोली प्रस्तुत करने और खोलने की तिथि

- 12.1 बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर फॉर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में हस्ताक्षरकर्ता को विधिवत अधिकृत करने वाला पावर ऑफ अटॉर्नी बोली में संलग्न किया जाना चाहिए।
- 12.2 बोली दो प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए- एक मूल और एक प्रति। बोली की मूल प्रति और प्रति युक्त पैकेट पर विधिवत् "मूल और प्रति" अंकित होना चाहिए तथा उसे बोलीदाता की व्यक्तिगत मुहर से सील किया जाना चाहिए।
- 12.3 लिफाफा क्रेता को निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा:

**रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.**  
**वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/एनओसी**

6वीं मंजिल, तीसरा ब्लॉक, दिल्ली टेक्नोलॉजी पार्क,  
शास्त्री पार्क, दिल्ली-110053

- 12.4 लिफाफे पर कार्य का नाम, निविदा संख्या और शब्द "न करें" लिखे होने चाहिए।  
"(देय तिथि) से पहले खोलें"।
- 12.5 बोली को उपरोक्त पते पर इस प्रकार से पहुंचाया जाना चाहिए कि वह नियत तिथि के 15:00 बजे तक पहुंच जाए। बोलियां उसी दिन 15:30 बजे बोलीदाता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उपरोक्त कार्यालय में खोली जाएंगी। नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और उसे खोला नहीं जाएगा।

- 13 सुरक्षा संबंधी विचार एवं सुरक्षा समझौता: हटाए गए
- 14 बयाना राशि जमा (ईएमडी)/ बोली सुरक्षा: शून्य
- 15 जोखिम और लागत

यदि ठेकेदार अनुबंध में सेवाओं की ऐसी डिलीवरी के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अनुबंधात्मक प्रतिबद्धता का सम्मान करने में विफल रहता है, तो क्रेता खरीद आदेश/एलओए/अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है, क्रेता ऐसी शर्तों और ऐसे तरीके से खरीद सकता है जैसा कि वह उचित समझे, ठेकेदार को कोई जोखिम और लागत के बिना बिना डिलीवर किए गए सामान के समान सामान खरीद सकता है। हालाँकि, निविदाकर्ता की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी / प्रदर्शन बैंक गारंटी को भुनाया जाएगा। असफल निविदाकर्ता को शेष कार्य के लिए निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

\*\*\*\*\*



अध्याय 4

फॉर्म नं. 1

**प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा**  
**(अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर)**  
**(अनुमोदित अनुसूचित बैंकों द्वारा उपयोग हेतु)**

9. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय के विचार में 6वीं मंजिल, तृतीय ब्लॉक, दिल्ली टेक्नोलॉजी पार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली-110053 और कॉर्पोरेट कार्यालयप्लेट-ए, 6वीं मंजिल, ऑफिस ब्लॉक-2, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023(इसके बाद रेलटेल कहा जाएगा) ने (मैसर्स पार्टी का नाम और पता) ..... (इसके बाद उक्त ठेकेदार(ओं) कहा जाएगा) को ..... और ..... के बीच ..... (कार्य का नाम) के लिए किए गए समझौता संख्या .....(पीओ संख्या) दिनांक ..... की शर्तों के तहत मांग से छूट देने पर सहमति व्यक्त की है (इसके बाद उक्त समझौता कहा जाएगा) उक्त ठेकेदारों द्वारा उक्त समझौते में निहित नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा, या रुपये ..... (रुपये ..... मात्र) के लिए बैंक गारंटी का उत्पादन। हम, .....(बैंक का नाम और पता)) जिन्हें इसके बाद बैंक कहा जाएगा) ..... के अनुरोध पर। ठेकेदार(ओं) ने रेलटेल को रुपये ..... से अधिक नहीं की राशि का भुगतान करने का वचन दिया है। उक्त पीओ/अनुबंध में निहित किसी भी नियम या शर्त के उक्त ठेकेदार(ओं) द्वारा उल्लंघन के कारण रेलटेल को हुई या झेली गई किसी भी हानि या क्षति के विरुद्ध।
10. हम, ..... बैंक (बैंक का नाम और पता) इस गारंटी के तहत देय और भुगतान योग्य राशि का भुगतान बिना किसी आपत्ति के, केवल रेलटेल की मांग पर करने का वचन देते हैं, जिसमें कहा गया है कि दावा की गई राशि उक्त अनुबंध में निहित किसी भी नियम या शर्त के ठेकेदार द्वारा उल्लंघन के कारण या ठेकेदार द्वारा उक्त पीओ/अनुबंध को निष्पादित करने में विफलता के कारण रेलटेल को हुई हानि या क्षति के रूप में देय है। बैंक पर की गई ऐसी कोई भी मांग इस गारंटी के तहत बैंक द्वारा देय और भुगतान योग्य राशि के संबंध में निर्णायक होगी। हालाँकि, इस गारंटी के तहत हमारी देयता रुपये ..... से अधिक नहीं की राशि तक सीमित होगी।
11. हम, ..... बैंक (बैंक का नाम और पता) रेलटेल को इस प्रकार मांगी गई किसी भी राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, भले ही ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में कोई विवाद या विवाद क्यों न उठाया गया हो, इस वर्तमान दायित्व के अंतर्गत हमारा दायित्व पूर्ण और असंदिग्ध है। इस बॉन्ड के अंतर्गत हमारे द्वारा किया गया भुगतान इसके अंतर्गत भुगतान के लिए हमारे दायित्व का वैध निर्वहन होगा और ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता का इस तरह के भुगतान के लिए हमारे विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।

12. हम, ..... बैंक (बैंक का नाम और पता) इस बात से भी सहमत हैं कि इसमें निहित गारंटी उक्त पीओ/समझौते के निष्पादन के लिए लगने वाली अवधि के दौरान पूरी तरह लागू रहेगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक कि उक्त समझौते के तहत या इसके आधार पर रेलटेल के सभी बकाए का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता है और उसके दावों को संतुष्ट या निर्वहन नहीं कर दिया जाता है या जब तक रेलटेल यह प्रमाणित नहीं कर देता है कि उक्त समझौते की शर्तों और नियमों का उक्त ठेकेदार(ओं) द्वारा पूरी तरह और उचित रूप से पालन किया गया है और तदनुसार इस गारंटी का निर्वहन करता है। जब तक कि गारंटी के तहत कोई मांग या दावा ..... को या उससे पहले लिखित रूप में हम पर नहीं किया जाता है, उसके बाद हम इस गारंटी के तहत सभी देयताओं से मुक्त हो जाएंगे।
13. हम, ..... (बैंक का नाम और पता) रेलटेल के साथ इस बात पर भी सहमत हैं कि रेलटेल को हमारी सहमति के बिना और किसी भी तरह से हमारे दायित्वों को प्रभावित किए बिना समझौते के किसी भी नियम और शर्तों में बदलाव करने या किसी भी समय के लिए या समय-समय पर रेलटेल द्वारा उक्त ठेकेदार(ओं) के खिलाफ प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति को स्थगित करने या स्थगित करने और उक्त समझौते से संबंधित किसी भी नियम और शर्तों को रोकने या लागू करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम उक्त ठेकेदार(ओं) में ऐसे किसी भी बदलाव या विस्तार के कारण या रेलटेल की ओर से किसी भी सहनशीलता, कार्य या चूक या रेलटेल द्वारा उक्त ठेकेदार(ओं) के प्रति किसी तरह की रियायत या किसी ऐसे मामले या चीज के कारण अपने दायित्व से मुक्त नहीं होंगे, जो जमानत से संबंधित कानून के तहत, लेकिन इस प्रावधान के लिए, हमें राहत देने का प्रभाव डालती हो।
14. बैंक या ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता के संविधान में परिवर्तन के कारण यह गारंटी समाप्त नहीं होगी।
15. हम, ..... (बैंक का नाम बताएं) अंत में यह वचन देते हैं कि रेलटेल की लिखित में पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को इसके प्रचलन के दौरान रद्द नहीं करेंगे।
16. इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, बैंक गारंटी के तहत हमारी देयता रुपये ..... (रुपये में) से अधिक नहीं होगी।
- यह बैंक गारंटी ..... तक वैध होगी और हम इस बैंक गारंटी के तहत गारंटीकृत राशि और उसके किसी भाग का भुगतान केवल तभी करने के लिए उत्तरदायी हैं, जब आप लिखित दावे या मांग पर या ..... (गारंटी की समाप्ति की तिथि) से पहले सेवा प्रदान करते हैं।

दिनांक 2017 का दिन

के लिए .....

(बैंक का नाम बताएं)

**गवाह**

1. हस्ताक्षर

नाम

2. हस्ताक्षर

नाम



## सामान्य परिस्थितियां

### 1.11 निविदाकर्ता का पता

निविदाकर्ता को निविदा में अपना डाक पता पूरी तरह और स्पष्ट रूप से बताना होगा। निविदाकर्ता को उसके पते पर डाक द्वारा भेजा गया कोई भी संचार निविदाकर्ता तक विधिवत और समय पर पहुंचा हुआ माना जाएगा, भले ही वह संचार किसी भी कारण से निविदाकर्ता तक बिल्कुल भी या समय पर नहीं पहुंच पाया हो। महत्वपूर्ण दस्तावेज पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे।

### 1.12 हटा दिया गया.

### 1.13 अनुबंध को नियंत्रित करने वाला कानून.

यह अनुबंध भारत गणराज्य में वर्तमान में लागू कानून द्वारा शासित होगा। विनियमों और उप-नियमों का अनुपालन-ठेकेदार को कार्यों से संबंधित किसी भी कानून के प्रावधानों और किसी भी स्थानीय प्राधिकरण और किसी भी जल और प्रकाश कंपनियों या उपक्रमों के विनियमों और उप-नियमों का अनुपालन करना होगा, जिनकी प्रणाली के साथ कार्य को जोड़ने का प्रस्ताव है और चित्रों या विनिर्देशों से कोई भी परिवर्तन करने से पहले जो इस प्रकार पुष्टि करने के लिए आवश्यक हो सकता है, इंजीनियर को प्रस्तावित परिवर्तन और परिवर्तन करने का कारण निर्दिष्ट करते हुए नोटिस देगा और जब तक उसे इंजीनियर से इसके संबंध में निर्देश नहीं मिल जाते तब तक वह ऐसा परिवर्तन नहीं करेगा। ठेकेदार उपर्युक्त कानून, विनियमन या उप-नियमों द्वारा अपेक्षित सभी नोटिस देने और इसके संबंध में किसी भी प्राधिकरण को देय सभी शुल्क और कर का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

### 1.14 अप्रत्याशित घटना खंड:-

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध के जारी रहने के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व का पूर्ण या आंशिक निष्पादन किसी युद्ध, शत्रुता, सार्वजनिक दुश्मन के कृत्य, नागरिक उपद्रव, तोड़फोड़, आग, बाढ़, भूकंप, विस्फोट, हड़ताल, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, तालाबंदी, किसी कानून, वैधानिक नियम/विनियम, किसी सरकारी विभाग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश या दैवीय कृत्य (जिसे आगे घटना कहा जाएगा) के कारण रोका जाता है या विलंबित किया जाता है, तो बशर्ते कि ऐसी किसी घटना के घटित होने की सूचना किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उसके घटित होने की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर दे दी जाए, ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा और न ही किसी भी पक्ष के पास ऐसे गैर-निष्पादन या प्रदर्शन में देरी के संबंध में दूसरे के खिलाफ नुकसान के लिए कोई दावा होगा, और अनुबंध के तहत दायित्वों को ऐसी घटना के समाप्त होने या समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र फिर से शुरू किया जाएगा, बशर्ते कि यदि इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व का पूर्ण या आंशिक निष्पादन, या किसी घटना के बाद रेलटेल और ठेकेदार द्वारा परस्पर सहमत अवधि से परे किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है या ऐसे किसी समझौते के अभाव में 60 दिन, जो भी अधिक हो, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि यदि अनुबंध इस खंड के तहत समाप्त हो जाता है, तो रेलटेल

ऐसी समाप्ति के समय ठेकेदार से अनुबंध में निर्धारित कीमतों पर, निष्पादित सभी कार्यों या निष्पादन के अधीन कार्यों को अपने अधीन ले सकता है।

### 1.15 अवैध परितोषण:-

रेलटेल के साथ इस या किसी अन्य अनुबंध को प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में ठेकेदार या उसके साझेदार, एजेंट या नौकर या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रेलटेल के किसी अधिकारी या कर्मचारी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को दी गई, वादा की गई या प्रस्तावित की गई कोई रिश्वत, कमीशन, उपहार या लाभ, इसके अतिरिक्त या उसके द्वारा वहन की गई किसी भी अपराधिक देयता के लिए, ठेकेदार को अनुबंध और रेलटेल के साथ अन्य सभी अनुबंधों को रद्द करने और ऐसे निर्णय से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के भुगतान के अधीन करेगा और रेलटेल इस अनुबंध या रेलटेल के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार (ठेकेदारों) को देय किसी भी धनराशि से इस प्रकार देय राशि में कटौती करने का हकदार होगा।

ठेकेदार रेलटेल के किसी भी कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देगा या उधार नहीं लेगा या उसके साथ कोई मौद्रिक लेन-देन या लेनदेन नहीं करेगा और यदि वह ऐसा करता है, तो रेलटेल को अनुबंध और रेलटेल के साथ अन्य सभी अनुबंधों को तुरंत रद्द करने का अधिकार होगा। इस खंड के तहत रेलटेल को देय कमीशन या किसी भी अपराध या मुआवजे के बारे में कोई भी प्रश्न या विवाद रेलटेल के क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा इस तरह से निपटाया जाएगा, जैसा कि वह उचित और पर्याप्त समझे और उसका निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। इस खंड के तहत अनुबंध के निरस्त होने की स्थिति में, ठेकेदार को निरस्तीकरण की तारीख तक किए गए कार्य के भुगतान के अलावा किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

### 1.16 श्रम

**श्रमिकों को मजदूरी-** ठेकेदार इस अनुबंध को पूरा करने के उद्देश्य से सड़क निर्माण या भवन निर्माण कार्यों या पत्थर तोड़ने या पत्थर कुचलने में उसके द्वारा सीधे या छोटे ठेकेदारों या उप ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित किसी भी कर्मचारी के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (जिसे बाद में "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में, ठेकेदार ने रेलटेल के प्रत्यक्ष आदेशों और नियंत्रण के तहत पूरी तरह या आंशिक रूप से उपयोग किए जाने वाले किसी भी श्रमिक की आपूर्ति की है, चाहे वह ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जा रहे किसी भी कार्य के संबंध में हो या अन्यथा रेलटेल के उद्देश्य के लिए हो, तो ऐसे श्रमिक, खंड के प्रयोजन के लिए, अभी भी ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति माने जाएंगे। यदि उक्त अधिनियम के तहत किए गए किसी दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप कोई धनराशि रेलटेल द्वारा भुगतान किए जाने का निर्देश दिया जाता है, तो ऐसी धनराशि को ठेकेदार द्वारा रेलटेल को देय धनराशि माना जाएगा और ठेकेदार द्वारा मांगे जाने के सात दिन के भीतर पूर्वोक्त रूप से भुगतान की गई धनराशि को वापस करने में विफल रहने पर, रेलटेल इस या रेलटेल के किसी अन्य ठेकेदार के तहत ठेकेदार को देय या प्रोद्भूत होने वाली किसी भी धनराशि से उसे वसूलने का हकदार होगा।

#### 7.13.1 प्रशिक्षु अधिनियम

ठेकेदार को प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के प्रावधानों और समय-समय पर जारी नियमों और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। अनुबंध को पूरा करने के उद्देश्य से उसके द्वारा नियोजित छोटे ठेकेदारों या उप-ठेकेदारों के माध्यम से सीधे प्रशिक्षुओं के संबंध में। यदि ठेकेदार सीधे या छोटे ठेकेदारों या उप-ठेकेदारों के माध्यम से ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसकी विफलता अनुबंध का उल्लंघन मानी जाएगी और रेलटेल अपने विवेक से अनुबंध को रद्द कर सकता है। ठेकेदार अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय देनदारी के लिए भी उत्तरदायी होगा।

### 7.13.2 मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधान-

ठेकेदार को मजदूरी अधिनियम, 1936 के भुगतान के प्रावधानों और उसके द्वारा कार्यों में सीधे या छोटे ठेकेदारों या उप-ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित सभी कर्मचारियों के संबंध में इसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। यदि अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में, ठेकेदार सीधे या छोटे ठेकेदारों या उप-ठेकेदारों के माध्यम से किसी भी श्रमिक को इंजीनियर के सीधे आदेश और नियंत्रण के तहत पूरी तरह या आंशिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए आपूर्ति करता है, चाहे वह इसके तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में हो या इंजीनियर के उद्देश्य के लिए अन्यथा, ऐसे श्रम में फिर भी ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति शामिल माने जाएंगे और इंजीनियरों द्वारा भुगतान किए जाने वाले किसी भी धन को ठेकेदार की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को देय धन पर इंजीनियर द्वारा देय धन माना जाएगा (चाहे इस अनुबंध के तहत या किसी अन्य अनुबंध के तहत, रेलटेल द्वारा पूर्वोक्त मुआवजे के रूप में या उसके किसी दावे के संबंध में खर्चों की लागत के रूप में भुगतान

### 7.13.3 अनुबंध का प्रावधानश्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970

6. ठेकेदार को समय-समय पर संशोधित ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, केंद्रीय नियम 1971 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा, जहां भी लागू हो और वह उक्त अधिनियम और नियमों के तहत किसी भी दावे के विरुद्ध रेलटेल को क्षतिपूर्ति भी करेगा।
7. ठेकेदार को कार्य शुरू होने से पहले समय-समय पर संशोधित उपरोक्त अधिनियम के तहत वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा और कार्य पूरा होने तक वैध लाइसेंस रखना होगा। इस आवश्यकता को पूरा करने में किसी भी तरह की विफलता के परिणामस्वरूप कार्य के गैर-निष्पादन के परिणामस्वरूप अनुबंध के दंडात्मक प्रावधान को आकर्षित किया जाएगा।
8. ठेकेदार अपने द्वारा सीधे या उप-ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को उक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान करेगा, जहाँ भी लागू हो। ठेकेदार अनुबंध के विपरीत प्रावधानों के बावजूद, उक्त कार्य के संबंध

में अपने उप-ठेकेदारों द्वारा नियोजित किसी भी श्रमिक सहित कार्य पर अप्रत्यक्ष रूप से लगे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करवाएगा, जैसे कि श्रमिक उसके द्वारा तत्काल नियोजित किया गया था।

9. ठेकेदार के हिस्से के कार्य के निष्पादन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार को पूर्वोक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा या जहां भी लागू हो, अनुपालन करवाना होगा।
10. प्रत्येक मामले में, जिसमें, उपर्युक्त अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के आधार पर, रेलटेल, कार्य के निष्पादन में ठेकेदार या उसके उप-ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कर्मचारी को मजदूरी की कोई राशि देने के लिए बाध्य है या उक्त अधिनियम और नियमों के तहत प्रदान की जाने वाली कल्याण और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में कोई व्यय करने के लिए बाध्य है या उक्त अधिनियम या नियमों के तहत प्रदान की जाने वाली कल्याण और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में कोई व्यय करने के लिए बाध्य है या ठेकेदार द्वारा उक्त अधिनियम या नियमों के तहत अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने के कारण रेलटेल की आकस्मिक देयता के कारण कोई व्यय करने के लिए बाध्य है, रेलटेल ठेकेदार से भुगतान की गई मजदूरी की राशि या किए गए व्यय की राशि वसूल करेगा और उक्त अधिनियम की धारा 20, उपधारा (2) और धारा 2 की उपधारा (4) के तहत रेलटेल के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रेलटेल को सुरक्षा जमा और/या किसी भी राशि से कटौती करके ऐसी राशि या उसके हिस्से को वसूलने की स्वतंत्रता होगी। रेलटेल द्वारा ठेकेदार को देय राशि, चाहे अनुबंध के तहत हो या अन्यथा। रेलटेल, उपरोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) और धारा 21 की उपधारा (4) के तहत उसके विरुद्ध किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और रेलटेल को उन सभी लागतों के लिए पूर्ण सुरक्षा देने के, जिनके लिए रेलटेल ऐसे दावे का विरोध करने में उत्तरदायी हो सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ठेकेदार से वास्तव में वसूली योग्य राशि के बारे में रेलटेल का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

#### 7.13.4 आरदुर्घटनाओं की सूचना श्रम विभाग को देना

ठेकेदार, अपने द्वारा कार्य पर सीधे या छोटे ठेकेदारों या उप-ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित सभी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा तथा कार्य पर किसी भी प्रकार की गंभीर दुर्घटना होने पर उसकी सूचना इंजीनियर या इंजीनियर के प्रतिनिधि को देगा तथा सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव व्यवस्था करेगा।

#### 7.13.5 कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधान-

प्रत्येक मामले में, जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 12 की उप धारा (1) के प्रावधान के आधार पर, रेलटेल कार्य के निष्पादन में, सीधे तौर पर या ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा नियोजित छोटे ठेकेदार के माध्यम से कामगार को प्रतिकर देने के लिए बाध्य है, रेलटेल

ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई प्रतिकर की राशि वसूल करेगा, और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (2) के तहत रेलटेल के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। रेलटेल ऐसी राशि या उसके किसी भाग को सुरक्षा जमा से या रेलटेल द्वारा ठेकेदार को देय किसी राशि से इन शर्तों के तहत या अन्यथा कटौती करके वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा, रेलटेल उक्त अधिनियम की धारा 12, उप धारा (1) के तहत अपने खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और उसके द्वारा रेलटेल को उन सभी लागतों के लिए पूर्ण सुरक्षा देने के, जिनके लिए रेलटेल ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

#### 1.17 अनुबंध का निर्धारण:

**अनुबंध निर्धारित करने का रेलटेल का अधिकार:** रेलटेल किसी भी समय अनुबंध का निर्धारण और समाप्ति करने का हकदार होगा, यदि रेलटेल की राय में, धन की कमी या किसी अन्य कारण से कार्य को रोकना आवश्यक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा साइट पर स्वीकृत सामग्री और आज तक किए गए कार्य का मूल्य अनुबंध में निर्दिष्ट दर पर पूरा भुगतान किया जाएगा। रेलटेल द्वारा ऐसे निर्धारण और उसके कारणों के बारे में लिखित में सूचना उसका निर्णायक साक्ष्य होगी।

**अनुबंध के निर्धारण पर भुगतान:** यदि अनुबंध इस खंड के उपखंड (1) के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है और ठेकेदार संपूर्ण कार्य को पूरा करने की अपेक्षा में उसके द्वारा किए गए व्यय के लिए भुगतान का दावा करता है, तो रेलटेल ऐसे दावों को स्वीकार करेगा और उन पर विचार करेगा जो उचित समझे जाते हैं और इंजीनियर की संतुष्टि के लिए वाउचर द्वारा समर्थित हैं। ऐसे व्यय की आवश्यकता और संपत्ति पर रेलटेल का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

ठेकेदार को किसी भी प्रकार के मुआवजे या अन्यथा भुगतान का कोई दावा नहीं होगा, हालांकि किसी भी लाभ या फायदे के कारण जो उसे कार्य के पूर्ण निष्पादन से प्राप्त हो सकता था, लेकिन जो उसे अनुबंध के निर्धारण के परिणामस्वरूप प्राप्त नहीं हुआ।

#### 1.18 ठेकेदार की चूक के कारण अनुबंध की समाप्ति:

निविदा दस्तावेज के अध्याय-4 के खंड 7 के अनुसार।

#### 1.19 ठेकेदार की चूक के कारण अनुबंध की समाप्ति के बाद रेलटेल का अधिकार:

- d) ठेकेदार को किसी भी सामग्री को खरीदने या प्राप्त करने या किसी भी प्रतिबद्धता में प्रवेश करने या निष्पादन के लिए या उसके उद्देश्य से कोई अग्रिम देने के कारण उसे हुई किसी भी हानि के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं होगा। कार्यों या अनुबंध के प्रदर्शन और ठेकेदार को कोई अधिकार नहीं होगा किसी भी ऐसे कार्य के लिए कोई राशि वसूलने या भुगतान पाने का अधिकार जो वास्तव में अधिनियम के तहत नहीं किया गया हो। अनुबंध, जब तक कि इंजीनियर ने निष्पादन को प्रमाणित नहीं कर दिया हो ऐसा

कार्य और उसके संबंध में देय मूल्य और ठेकेदार केवल इस प्रकार प्रमाणित मूल्य का भुगतान पाने का हकदार होगा।

- e) इंजीनियर या इंजीनियर के प्रतिनिधि को कब्जा लेने का अधिकार होगा। कार्य स्थल पर या सड़क पर कोई भी सामग्री, उपकरण, औजार, मशीनरी या इमारतें वह संपत्ति जिस पर ये कार्य किए जा रहे हैं या किए जाने चाहिए थे, तथा ठेकेदार की अनुमति के बिना कार्यों के आगे के निष्पादन में उसे बनाए रखना। इसके उपयोग और नियोजन के लिए या इसके टूट-फूट या विनाश के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।
- f) ठेकेदार को हटाने के बाद इंजीनियर यथाशीघ्र विशेषज्ञ द्वारा या पक्षों को संदर्भित करके या उसके पश्चात् या ऐसे निर्णय के पश्चात् निर्णय तय और निर्धारित किया जाएगा। जांच या पूछताछ जिसे वह करना या शुरू करना उचित समझे और प्रमाणित करें कि अनुबंध की समाप्ति के समय कितनी राशि (यदि कोई हो) का भुगतान किया गया है ठेकेदार द्वारा यथोचित रूप से अर्जित या उसके संबंध में यथोचित रूप से प्राप्त होगा अनुबंध के तहत उसके द्वारा वास्तव में किया गया कार्य, किसी भी कार्य का मूल्य क्या था? अप्रयुक्त या आंशिक रूप से उपयोग की गई सामग्री, कोई भी निर्माण संयंत्र और कोई भी अस्थायी साइट पर काम करता है। ठेकेदार को भुगतान के बाद वैध राशि देय है आवश्यक कटौती की जानी चाहिए और इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए शीघ्रता से।

#### 1.20 विवाद का निपटारा और मध्यस्थता:-

- इस अनुबंध के निर्माण, अर्थ, दायरे, संचालन या प्रभाव या इसकी वैधता या उल्लंघन से संबंधित पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा निपटारा जाएगा। संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में निहित प्रावधानों के साथ और उसके अनुसरण में दिया गया निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। ऐसी मध्यस्थता या उसकी कार्यवाही का स्थान नई दिल्ली होगा।
- सभी मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी में की जाएगी। इस प्रकार दिए गए किसी भी मध्यस्थ निर्णय के विरुद्ध संसाधन अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में दर्ज किए जा सकते हैं या मामले के अनुसार प्रवर्तन आदेश के लिए ऐसे न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है।
- मध्यस्थ न्यायाधिकरण में पक्षों की आपसी सहमति से नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों अर्थात् ठेकेदार और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर बाध्यकारी होगा।
- प्रत्येक पक्ष इस बात पर सहमत है कि भले ही मामले को मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है, जैसा कि इसमें प्रावधान है, फिर भी विवाद या असहमति का समाधान होने तक पक्ष अपने दायित्व को पूरा करना जारी रखेंगे। इस समझौते के तहत जहां तक वे यथोचित रूप से ऐसा करने में सक्षम हैं।

---समाप्त---

